



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(8) परावि/प्रशा.1/आर.आर.डी.एस-2010/संस्था/2012/701 जयपुर दिनांक:- 29/3/16

:-आदेश:-

श्री अमित कुमार शर्मा, RRDS, विकास अधिकारी पंचायत समिति केकडी जिला अजमेर का चयन राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2012 के अन्तर्गत सहकारिता के आदेश क्रमांक फा. 1 (1) सविरा/निशा/ब-2/2016 दिनांक 08.03.2016 (क्रम संख्या 170) द्वारा सहकारिता निरीक्षक के पद पर किया गया है। श्री शर्मा द्वारा राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा से राजस्थान सहकारिता सेवा के लिये कार्यमुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः श्री शर्मा को राजस्थान सहकारिता सेवा में चयन उपरान्त राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत नियम 15 के तहत पदाधिकार (Lien) राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा में सुरक्षित रखते हुए राजस्थान सहकारिता सेवा में स्थायीकरण होने की सूचना विभाग को प्रस्तुत करने की शर्त के साथ राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

(गिरीश पाराशर)

शासन उप सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
6. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर को उनके आदेश क्रमांक फा. 1 (1) सविरा/निशा/ब-2/2016 दिनांक 08.03.2016 के क्रम में सूचनार्थ।
7. संभागीय आयुक्त अजमेर।
8. जिला कलेक्टर अजमेर।
9. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर।
10. विकास अधिकारी पंचायत समिति केकडी जिला अजमेर।
11. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
12. प्रोग्रामर मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावे।
13. आदेश पत्रावली।

(गिरीश पाराशर)

शासन उप सचिव (प्रशा-1)